RNA : Real News Analysis

DAILY CURRENT AFFAIRS

UPSC, STATE PCS, SSC, RAILWAY, BANKING, DEFENCE,
और अन्य सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण

DATE
सितम्बर
13
2024

Key Point

1. National News
2. International News
3. Govt. Mission, Apps
4. Awards & Honours
5. Sports News
6. Economic News
7. Newly Appointment
8. Defence News
9. Important Days
10. Technology News
11. Obituary News
12. Books & Authors
13. Index

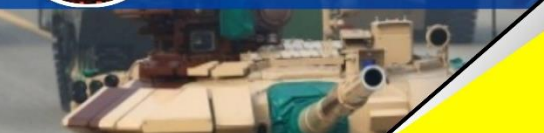

By Ankit Avasthi Sir

जल विद्युत परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए बजटीय सहायता की योजना में संशोधन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में **केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 12,461 करोड़ रुपये** के कुल परिव्यय के साथ **जल विद्युत परियोजनाओं (एचईपी)** के बुनियादी ढांचे को सक्षम बनाने की लागत के लिए बजटीय समर्थन योजना में संशोधन को मंजूरी दी है। यह संशोधित योजना **वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2031-32** तक लागू की जाएगी।

नीतिगत पहल और जल विद्युत परियोजनाओं में सुधार:

भारत सरकार ने जल विद्युत परियोजनाओं के विकास में आ रही कठिनाइयों, जैसे **दूरदराज के स्थान, पहाड़ी क्षेत्र और बुनियादी ढांचे की कमी,** को दूर करने के लिए कई नीतिगत सुधार किए हैं। मार्च 2019 में सरकार ने बड़े जल विद्युत परियोजनाओं को **नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों** के रूप में मान्यता दी और इनसे जुड़े अन्य सुधारों को भी मंजूरी दी।

योजना में किए गए मुख्य संशोधन:

पिछली योजना में कुछ प्रमुख संशोधन किए गए हैं, जिनमें निम्नलिखित बिंदु शामिल हैं:

1. **ट्रांसमिशन लाइन:** बिजली घर से **निकटतम पूलिंग बिंदु तक ट्रांसमिशन लाइन** का निर्माण।
2. **रोपवे निर्माण:** दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंच के लिए **रोपवे का निर्माण।**
3. **रेलवे साइडिंग:** परियोजना स्थलों के लिए **रेलवे साइडिंग** की सुविधा।
4. **संचार संबंधी बुनियादी ढांचा:** संचार के लिए आवश्यक **बुनियादी ढांचे** का निर्माण।

परियोजनाओं के लिए पात्रता:

यह योजना **25 मेगावाट से अधिक** की सभी जल विद्युत परियोजनाओं पर लागू होगी, जिनका आवंटन पारदर्शी तरीके से किया गया हो। साथ ही, **15,000 मेगावाट की पंप स्टोरेज परियोजनाओं (पीएसपी)** को भी इस योजना के तहत शामिल किया जाएगा।

बजटीय सहायता और समर्थन:

बुनियादी ढांचे की लागत के लिए बजटीय सहायता निम्नलिखित मानकों पर आधारित होगी:

- ✓ **200 मेगावाट तक** की परियोजनाओं के लिए **1 करोड़ रुपये प्रति मेगावाट।**
- ✓ **200 मेगावाट से अधिक** की परियोजनाओं के लिए **200 करोड़ रुपये** और **0.75 करोड़ रुपये प्रति मेगावाट।**
- ✓ **असाधारण मामलों** में, बजटीय सहायता **1.5 करोड़ रुपये प्रति मेगावाट** तक हो सकती है।

योजना से होने वाले लाभ:

इस योजना से न केवल जल विद्युत परियोजनाओं के तेजी से **विकास को बढ़ावा** मिलेगा, बल्कि **दूरदराज और पहाड़ी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे** को भी बेहतर बनाया जाएगा। इसके साथ ही, स्थानीय लोगों को **रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, पर्यटन और लघु व्यवसायों को भी लाभ होगा,** जिससे आर्थिक विकास को गति मिलेगी।

जल विद्युत के बारे में

जल विद्युत (Hydropower) एक प्रकार की विद्युत ऊर्जा है जो बहते **पानी की गतिज ऊर्जा** से उत्पन्न होती है। यह ऊर्जा स्रोत पर्यावरण के लिए **अनुकूल और नवीकरणीय** है, जिससे ऊर्जा उत्पादन के लिए इसे सुरक्षित और स्थायी विकल्प माना जाता है।

जल विद्युत कैसे काम करती है?

जल विद्युत उत्पादन का प्रमुख सिद्धांत यह है कि जब **पानी ऊंचाई** से गिरता है, तो उसकी **गति ऊर्जा** में बदल जाती है। इस ऊर्जा को **टरबाइन के माध्यम से विद्युत ऊर्जा** में रूपांतरित किया जाता है। मुख्यत: यह प्रक्रिया तीन चरणों में होती है:

- **जल का संग्रहण: जलाशय या बांध** में पानी को संग्रहित किया जाता है।
- **टरबाइन का घुमाव:** संग्रहित पानी ऊंचाई से गिरते समय **टरबाइन** को घुमाता है।
- **विद्युत उत्पादन: टरबाइन से जुड़े जनरेटर** पानी की गति को **विद्युत ऊर्जा** में बदलते हैं।

जल विद्युत परियोजनाओं के प्रकार:

जल विद्युत परियोजनाओं को उनकी क्षमता और संरचना के आधार पर कई प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है:

1. **बड़े जल विद्युत संयंत्र: 25 मेगावाट से अधिक** क्षमता वाले संयंत्र।
2. **मध्यम और छोटे जल विद्युत संयंत्र:** 25 मेगावाट से कम क्षमता वाले संयंत्र।
3. **रन-ऑफ-रिवर संयंत्र:** जिनमें **जलाशय का उपयोग नहीं** किया जाता, और **नदी के प्रवाह से सीधा बिजली** उत्पादन होता है।
4. **पंप स्टोरेज संयंत्र: इनमें पानी को पुन: ऊपर पंप किया** जाता है और आवश्यकता पड़ने पर **बिजली उत्पादन** किया जाता है।

विदेशी मुद्रा (कंपाउंडिंग कार्यवाही) नियम, 2024

केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री, **श्रीमती निर्मला सीतारमण** द्वारा वि**देशी निवेश के लिए नियमों को सरल** बनाने की घोषणा के अनुसरण में, **वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग (DEA)** ने **विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA), 1999** की **धारा 15** के साथ पठित **धारा 46** के तहत **विदेशी मुद्रा (कंपाउंडिंग कार्यवाही) नियम, 2024** को अधिसूचित किया है। ये **संशोधित नियम 2000 में जारी किए गए मौजूदा विदेशी मुद्रा (कंपाउंडिंग कार्यवाही) नियमों का स्थान** लेंगे।

भारत का राजपत्र
The Gazette of India
सी.जी.-डी.एल.-अ.-12092024-257094
CG-DL-E-12092024-257094
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 524] नई दिल्ली बृहस्पतिवार, सितम्बर 12, 2024/ भाद्र 21, 1946
No. 524] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 12, 2024/ BHADRA 21, 1946
वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 12 सितम्बर, 2024

नियमों की समीक्षा और सुधार:

व्यापार करने में आसानी को और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए, मौजूदा नियमों और विनियमों को सुव्यवस्थित और तर्कसंगत बनाने की एक व्यापक पहल के तहत, भारतीय रिजर्व बैंक के **परामर्श से कंपाउंडिंग कार्यवाही नियमों** की विस्तृत समीक्षा की गई है।

नई प्रक्रियाएँ और डिजिटल भुगतान:

कंपाउंडिंग से संबंधित आवेदनों के निपटारे की प्रक्रिया को तेज़ और सुव्यवस्थित करने के लिए, नए नियमों में **आवेदन शुल्क और कंपाउंडिंग राशि के लिए डिजिटल भुगतान** के विकल्पों की शुरुआत की गई है। इसके अतिरिक्त, नियमों में अस्पष्टता को समाप्त करने और प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए प्रावधानों का **सरलीकरण और युक्तिकरण** किया गया है।

आवेदन शुल्क और मौद्रिक सीमा में वृद्धि:

- ✓ नई नियमावली के अनुसार, **कंपाउंडिंग आवेदन** दाखिल करने की फीस को **दोगुना** करके **10,000 रुपये प्लस जीएसटी** कर दिया गया है, जो **पहले 5,000 रुपये** थी।
- ✓ इसके अलावा, **आरबीआई के सहायक महाप्रबंधक रैंक के अधिकारी अब 60 लाख रुपये** तक के कंपाउंडिंग आवेदन पर निर्णय ले सकते हैं, जो **पहले 10 लाख रुपये** था।

वरिष्ठ अधिकारियों के लिए नई मौद्रिक सीमाएँ:

- उप महाप्रबंधक और महाप्रबंधक स्तर के अधिकारियों के लिए मौद्रिक सीमा **को क्रमश: 2.5 करोड़ रुपये और 5 करोड़ रुपये** कर दिया गया है।
- इसके अलावा, आरबीआई के **मुख्य महाप्रबंधक को 5 करोड़ रुपये से अधिक के कंपाउंडिंग मामलों** पर निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त होगा।

विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA), 1999 :

विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) का मुख्य उद्देश्य **भारत में बाहरी व्यापार और भुगतान को सुविधाजनक** बनाना है, साथ ही भारतीय विदेशी मुद्रा बाजार के **व्यवस्थित विकास और रखरखाव** को बढ़ावा देना है। FEMA भारत में विदेशी **मुद्रा लेनदेन की प्रक्रियाओं, औपचारिकताओं, और व्यवहार से संबंधित प्रावधानों** को नियंत्रित करता है। विदेशी मुद्रा से संबंधित लेनदेन को FEMA के तहत दो मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

1. **चालू खाता लेनदेन**
2. **पूंजी खाता लेनदेन**

FEMA, 1999 के प्रमुख प्रावधान:

FEMA, 1999 के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं:

- ✓ विदेशी मुद्रा लेन-देन
- ✓ विदेशी मुद्रा धारण
- ✓ चालू खाता लेनदेन
- ✓ पूंजी खाता लेनदेन
- ✓ वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात
- ✓ विदेशी मुद्रा की प्राप्ति और प्रत्यावर्तन
- ✓ प्राधिकृत व्यक्तियों से संबंधित प्रावधान
- ✓ उल्लंघन और दंड
- ✓ प्रवर्तन निदेशालय और अन्य विविध प्रावधान

प्रमुख FEMA विनियम:

कुछ महत्वपूर्ण FEMA विनियम निम्नलिखित हैं:

- विदेशी मुद्रा प्रबंधन (चालू खाता लेनदेन) नियम, 2000
- विदेशी मुद्रा प्रबंधन (अनुमेय पूंजी खाता लेनदेन) विनियम, 2000
- विदेशी मुद्रा प्रबंधन (विदेशी मुद्रा में उधार लेना या देना) विनियम, 2000
- एफईएम (भारत के बाहर अचल संपत्ति का अधिग्रहण और हस्तांतरण) विनियम, 2015
- विदेशी मुद्रा प्रबंधन (गारंटी) विनियम, 2000
- एफईएम (बीमा) विनियम, 2015
- विदेशी मुद्रा प्रबंधन (भारत में अचल संपत्ति का अधिग्रहण और हस्तांतरण) विनियम, 2000

आयुष्मान भारत योजना का विस्तार

11 सितंबर 2024 को केंद्रीय कैबिनेट ने **आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY) के महत्वपूर्ण विस्तार** को मंजूरी दी। इस निर्णय के तहत, 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को उनकी आय की परवाह किए बिना स्वास्थ्य कवर प्रदान किया जाएगा।

इस विस्तार से **लगभग 4.5 करोड़ परिवारों, जिसमें 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिक शामिल** हैं, को प्रति परिवार **5 लाख रुपये तक की मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कवरेज** मिलेगी। इससे हर वरिष्ठ नागरिक को योजना के लाभ मिलेंगे, भले ही उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति कैसी भी हो।

नई प्रमुख घोषणाएं:

- ✓ **नया विशिष्ट कार्ड: 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के पात्र वरिष्ठ नागरिकों** को AB PM-JAY योजना के तहत एक नया विशिष्ट कार्ड प्राप्त होगा।
- ✓ **टॉप-अप कवरेज:** AB PM-JAY के तहत पहले से कवर किए गए परिवारों के वरिष्ठ नागरिकों को **प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का अतिरिक्त टॉप-अप कवर** मिलेगा। यह टॉप-अप केवल उन्हीं के लिए होगा और इसे 70 वर्ष से कम आयु के परिवार के अन्य सदस्य के साथ साझा नहीं किया जाएगा।
- ✓ **परिवार कवर:** जिन वरिष्ठ नागरिकों को AB PM-JAY के तहत परिवार कवर नहीं मिला है, उन्हें **प्रति वर्ष 5 लाख रुपये का कवर परिवार आधार** पर प्रदान किया जाएगा।
- ✓ **योजना का विकल्प:** जिन वरिष्ठ नागरिकों को अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजनाओं जैसे कि **केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (CGHS), पूर्व सैनिक योगदान स्वास्थ्य योजना (ECHS), या आयुष्मान केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF)** का लाभ मिल रहा है, उन्हें अपनी वर्तमान **योजना जारी रखने या AB PM-JAY को अपनाने का विकल्प होगा।**
- ✓ **निजी बीमा के साथ पात्रता:** जिन वरिष्ठ नागरिकों के पास **निजी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी या कर्मचारी राज्य बीमा योजना** है, वे भी **AB PM-JAY का लाभ** प्राप्त कर सकते हैं।

आयुष्मान भारत योजना:

आयुष्मान भारत योजना, **जो 2018 में शुरू** की गई, भारत की एक प्रमुख स्वास्थ्य योजना है। इसका **उद्देश्य गरीब और कमजोर लोगों को सस्ती और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएँ** प्रदान करना है। यह योजना **प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक स्तरों** पर स्वास्थ्य सेवाओं की पूरी श्रृंखला को कवर करती है।

इस योजना के दो प्रमुख घटक हैं:

1. **आयुष्मान आरोग्य मंदिर (AAM):** जिन्हें पहले **स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र (AB-HWC)** कहा जाता था। 12 सितंबर 2024 तक, देशभर में **1,74,453 आयुष्मान आरोग्य मंदिर** हैं। इनमें **उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, शहरी स्वास्थ्य केंद्र और आयुष संबंधी** केंद्र शामिल हैं।
2. **प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY):** यह **दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना** है। इसके तहत **प्रति परिवार 5 लाख रुपये** तक का स्वास्थ्य कवरेज मिलता है, जिससे लोग द्वितीयक और तृतीयक देखभाल के लिए अस्पताल में भर्ती हो सकते हैं।

आयुष्मान भव अभियान:

'आयुष्मान भव' अभियान का उद्देश्य **हर गाँव और कस्बे तक स्वास्थ्य सेवाएँ** पहुँचाना है, जो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की **"सबके लिए स्वास्थ्य"** की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। जुलाई 2024 तक इस अभियान की कई महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हैं:

1. **कल्याण, योग और ध्यान:** 16.96 लाख सत्र आयोजित किए गए।
2. **टेली-परामर्श:** 1.89 करोड़ सत्र संपन्न हुए।
3. **निःशुल्क दवाएं और जांच:** 11.64 करोड़ लोगों ने दवाएं प्राप्त कीं और 9.28 करोड़ लोगों ने निःशुल्क जांच कराई।
4. **प्रसवपूर्व जांच और टीकाकरण:** 82.10 लाख माताओं और 90.15 लाख बच्चों को टीके दिए गए।
5. **स्क्रीनिंग सेवाएं:** 34.39 करोड़ लोगों की टीबी, मधुमेह, कैंसर जैसी बीमारियों की जांच की गई।
6. **परामर्श और सर्जरी:** 2 करोड़ मरीजों ने सामान्य ओपीडी सेवाओं का लाभ लिया, और 65,094 बड़ी सर्जरी की गईं।
7. **ABHA और आयुष्मान कार्ड:** 13.48 करोड़ ABHA खाते और 9.50 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी किए गए।
8. **आयुष्मान सभाएँ और मेले:** सामुदायिक स्वास्थ्य मेलों और सभाओं के जरिए जागरूकता और सेवाएँ उपलब्ध कराई गईं।

नीति आयोग ने भविष्य की महामारी की तैयारियों पर विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट जारी की

नीति आयोग ने **'भविष्य में संभावित महामारी की तैयारी और आपातकालीन प्रतिक्रिया - कार्रवाई के लिए एक रूपरेखा'** नामक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में विशेषज्ञ समूह ने देश को भविष्य की किसी भी सार्वजनिक स्वास्थ्य **आपातकाल या महामारी** से निपटने के लिए एक व्यापक योजना का सुझाव दिया है।

भविष्य की चुनौतियाँ:

- COVID-19 महामारी आखिरी नहीं हैं, तेजी से बदलते **पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और मानव-पशु संबंधों के कारण भविष्य में और भी बड़े संक्रमण का खतरा** हो सकता है।
- **विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)** ने चेतावनी दी है कि **भविष्य में 75% सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे जानवरों से फैलने वाली बीमारियों (ज़ूनोटिक रोग)** से होंगे।
- इस खतरे को ध्यान में रखते हुए, नीति आयोग ने विशेषज्ञ समूह का गठन किया। इस समूह ने COVID-19 के अनुभव से सीखे गए सबक और सामने आई कमियों का विश्लेषण किया। इसका उद्देश्य **भविष्य में बेहतर तरीके से महामारी और स्वास्थ्य आपात स्थितियों से निपटने** के लिए **एक कार्य योजना तैयार** करना था।

भारत की COVID-19 प्रतिक्रिया:

भारत ने महामारी के दौरान कई महत्वपूर्ण कदम उठाए:

- ✓ **अनुसंधान और विकास** को बढ़ावा देने के लिए उद्योगों और शोधकर्ताओं को फंडिंग दी गई।
- ✓ **सार्वजनिक-निजी साझेदारी** और वैश्विक सहयोग की दिशा में कदम उठाए गए।
- ✓ महामारी से निपटने के लिए **डिजिटल उपकरणों** में निवेश किया गया, जिससे बड़ी जनसंख्या का डेटा प्रबंधित करने में सहायता मिली।

प्रमुख सिफारिशें:

रिपोर्ट में 100 दिनों के भीतर प्रभावी प्रतिक्रिया देने की बात कही गई है, क्योंकि शुरुआती **100 दिन महामारी के प्रकोप** में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। इस रिपोर्ट ने चार प्रमुख क्षेत्रों में सिफारिशें दी हैं:

1. **नियमन, कानून, वित्त और प्रबंधन:** महामारी से निपटने के लिए एक **सुदृढ़ कानून और वित्तीय प्रणाली** बनानी चाहिए।
2. **डेटा प्रबंधन और निगरानी:** एक **सशक्त निगरानी प्रणाली** होनी चाहिए, जिससे बीमारियों का जल्दी पता लगाया जा सके और उन्हें रोका जा सके।
3. **अनुसंधान और नवाचार:** नए **टीकों और तकनीकों** के लिए अनुसंधान केंद्र और कौशल विकास के लिए केंद्र स्थापित किए जाएं।
4. **साझेदारी और सामुदायिक सहभागिता:** स्थानीय और वैश्विक स्तर पर समुदायों, **निजी क्षेत्र और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग** बढ़ाया जाए।

रिपोर्ट का महत्व:

इस रिपोर्ट को तैयार करने में 60 से अधिक विशेषज्ञों और हितधारकों से परामर्श लिया गया। इसमें **राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों, सरकारी अधिकारियों,** और **COVID-19 की अग्रिम पंक्ति में काम करने वाले लोगों** का सहयोग लिया गया। रिपोर्ट में सीखे गए सबक और भविष्य के लिए आवश्यक तैयारियों पर चर्चा की गई है।

महामारी प्रबंधन के लिए मौजूदा ढाँचा

1. **'सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता'** राज्य सूची के **प्रविष्टि 6 (सातवीं अनुसूची)** के अंतर्गत आता है।
2. **समवर्ती सूची की प्रविष्टि 29** के तहत केंद्र और राज्य, दोनों को संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए कानून बनाने का अधिकार है।
3. **अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियमन (2005)** सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों से निपटने के लिए कानूनी ढाँचा प्रदान करता है।
4. **1897 का महामारी रोग अधिनियम (EDA)** इस विषय पर मुख्य कानून है।
5. **एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम** बीमारी की निगरानी के लिए कार्य करता है।

नीति आयोग

- राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था, जिसे नीति आयोग भी कहा जाता है, का गठन **1 जनवरी, 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल** के एक प्रस्ताव के माध्यम से किया गया था।
- नीति आयोग भारत सरकार का प्रमुख नीति से संबंधित **'थिंक टैंक'** है, जो निदेशात्मक और नीतिगत इनपुट प्रदान करता है।
- नीति आयोग भारत सरकार के लिए **कार्यनीतिक और दीर्घकालिक नीतियों और कार्यक्रमों को तैयार** करते हुए, केंद्र और राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को उपयुक्त तकनीकी सलाह भी प्रदान करता है।
- नीति आयोग भारत सरकार के **सर्वोत्कृष्ट मंच के रूप** में कार्य करता है जो राज्यों को **राष्ट्रीय हित में एक साथ कार्य करने** के लिए लाता है, और जिससे **सहयोगी संघवाद को बढ़ावा** मिलता है।

ग्लोबल बायो इंडिया 2024

हाल ही में **ग्लोबल बायो इंडिया 2024** के उद्घाटन समारोह में केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने "ग्लोबल बायो इंडिया ने **30 अभिनव स्टार्टअप्स** का शुभारंभ किया, जो जैव प्रौद्योगिकी के भविष्य का मार्ग प्रशस्त करेंगे।"

भारत की जैव अर्थव्यवस्था की प्रगति:

- ✓ भारत की जैव अर्थव्यवस्था ने 2**014 में 10 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2024 में 130 बिलियन डॉलर से अधिक** का आंकड़ा छू लिया है।
- ✓ इसके साथ ही, **2030 तक इस क्षेत्र के 300 बिलियन डॉलर** तक पहुँचने की संभावना व्यक्त की गई है।

भारत की आर्थिक भूमिका में जैव प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका:

- **सभी-समावेशी विकास:** जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र को भारत के **5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था** के लक्ष्य में प्रमुख योगदानकर्ता माना जाता है।
- **विश्व स्तरीय केंद्र:** भारत दुनिया के **शीर्ष-12 जैव प्रौद्योगिकी गंतव्यों** में शामिल है और एशिया-प्रशांत क्षेत्र में **तीसरा सबसे बड़ा जैव प्रौद्योगिकी** गंतव्य है।
- **वर्तमान स्थिति:** भारत के जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र की वैश्विक जैव प्रौद्योगिकी उद्योग में **3% हिस्सेदारी** है।

आर्थिक वृद्धि और भविष्य की योजनाएँ:

- ✓ **वर्तमान स्थिति:** 2022 में, भारत वैश्विक स्तर पर **पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था** बन गया और मध्य और दक्षिणी एशिया में **शीर्ष नवाचार अर्थव्यवस्था** के रूप में मान्यता प्राप्त है।
- ✓ **भविष्य की योजना:** भारत@2047 के लिए **"अमृत काल विजन"** का लक्ष्य **32.8 ट्रिलियन डॉलर का जीडीपी** है, जो विनिर्माण और सेवाओं जैसे रोजगार-गहन क्षेत्रों पर केंद्रित है।

पर्यावरणीय पहल और स्थायित्व:

- **चक्रीय अर्थव्यवस्था:** भारत एक चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे रहा है, और **"नेट ज़ीरो"** कार्बन अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर है।
- **LiFE अभियान:** माननीय प्रधान मंत्री द्वारा शुरू किया गया **"पर्यावरण के लिए जीवनशैली (LiFE)"** अभियान सभी को जीवन के सभी पहलुओं में पर्यावरण के अनुकूल समाधान अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है।

जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र की वृद्धि:

- **वर्तमान मूल्य और लक्ष्य:** 2023 में, भारतीय जैव प्रौद्योगिकी उद्योग का **मूल्य 151.1 बिलियन डॉलर था और 2030 तक इसे 300 बिलियन डॉलर** के राष्ट्रीय लक्ष्य तक पहुँचने का अनुमान है।
- **विकास की प्रेरक शक्ति: 600 से अधिक जैव प्रौद्योगिकी कंपनियाँ और 8,500 जैव प्रौद्योगिकी स्टार्टअप** इस क्षेत्र को आगे बढ़ा रहे हैं।

निष्कर्ष: भारत का जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र सरकारी समर्थन और स्थायित्व के साथ तेजी से बढ़ रहा है, जो इसके भविष्य को आशाजनक बनाता है।

ग्लोबल बायो-इंडिया 2024:

ग्लोबल बायो-इंडिया 2024 जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र के हितधारकों का एक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन है। इसमें **अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, विनियामक निकायों, केंद्रीय और राज्य सरकारों, छोटे और मध्यम उद्यमों (SMEs), बड़े उद्योगों, बायोक्लस्टरों, शोध संस्थानों, निवेशकों और स्टार्टअप्स** का समावेश होता है। यह वार्षिक आयोजन **जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (BIRAC)** द्वारा आयोजित किया जाता है। BIRAC जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) के तहत विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार का एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य **भारत के जैव प्रौद्योगिकी विकास और अवसरों को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत** करना है।

- **कार्यक्रम का फोकस:** ग्लोबल बायो-इंडिया 2024 में **जैव-विनिर्माण, क्षमता निर्माण, नैदानिक परीक्षण, औषधि खोज, विनियमन और नीतियों** के क्षेत्रों में अवसरों और चुनौतियों पर चर्चा की जाएगी।
- **मुख्य घटक:** इस आयोजन में **तकनीकी सत्र, नीति संवाद, बायोटेक प्रदर्शनी, स्टार्टअप पैवेलियन, बीटबी बैठकें और अनुसंधान एवं विकास** के लिए सहयोग और वित्त पोषण के अवसरों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

भविष्य की दिशा और समावेशी विकास:

- **नवाचार और बायो-एनेबलर्स:** कार्यक्रम का फोकस **बायो-एनेबलर्स** और बायोमैन्युफैक्चरिंग हब, बायो-आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) हब पर होगा, जो जैव-परिवर्तन की सुविधा प्रदान करेंगे।
- **जैव सुरक्षा और नैतिकता: जैव सुरक्षा, नैतिकता और समावेशी विकास पर जोर** दिया जाएगा, क्योंकि क्षेत्र अपनी उद्यमशीलता की गति को तेज करना चाहता है।

इंडस-एक्स शिखर सम्मेलन 2024

इंडस-एक्स शिखर सम्मेलन का **तीसरा संस्करण** 9-10 सितंबर 2024 को **संयुक्त राज्य अमेरिका** में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम को **यूएस-इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम (यूएसआईएसपीएफ)** और **स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी** द्वारा **संयुक्त रूप से आयोजित** किया गया। यह शिखर **सम्मेलन भारत और अमेरिका** के बीच **संयुक्त रक्षा नवाचार इकोसिस्टम** की प्रगति का प्रतीक था।

मुख्य आकर्षण और समझौते:

- ✓ **समझौता ज्ञापन (एमओयू):** इस शिखर सम्मेलन के दौरान, **आईडेक्स और अमेरिकी रक्षा विभाग के तहत डिफेंस इनोवेशन यूनिट (डीआईयू)** के बीच एक महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता रक्षा नवाचार में **सहयोग बढ़ाने और उद्योग, अनुसंधान, और निवेश संबंधी साझेदारी को सुविधाजनक बनाने** के लिए किया गया।
- ✓ **नई चुनौतियों की घोषणा:** इंडस-एक्स के तहत एक **नई चुनौती** की घोषणा की गई, जो भविष्य की **रक्षा प्रौद्योगिकियों के विकास** को प्रोत्साहित करने के लिए है।
- ✓ **इंडस-एक्स प्रभाव रिपोर्ट:** शिखर सम्मेलन के दौरान इंडस-एक्स की प्रभाव रिपोर्ट जारी की गई।
- ✓ **आधिकारिक वेबपेज:** **आईडेक्स और डीआईयू वेबसाइटों** पर आधिकारिक इंडस-एक्स वेबपेज का शुभारंभ हुआ।

मंच और चर्चाएँ:

- **स्टार्टअप्स और एमएसएमई:** शिखर सम्मेलन ने **स्टार्टअप्स और छोटे-मझोले उद्यमों** द्वारा अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों के संयुक्त प्रदर्शन के लिए एक मंच प्रदान किया।
- **सलाहकार मंच:** इंडस-एक्स के तहत **दो सलाहकार मंच—वरिष्ठ सलाहकार समूह और वरिष्ठ नेता मंच—के माध्यम** से महत्वपूर्ण संवाद को सक्षम किया गया।
- **चर्चा के विषय:** चर्चा में भविष्य की **प्रौद्योगिकी रुझान, स्टार्टअप्स की क्षमता निर्माण, रक्षा नवाचारों के लिए वित्त पोषण के अवसर, और रक्षा आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत** करने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

भारतीय प्रतिनिधिमंडल की टिप्पणी:

भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने वाले संयुक्त सचिव (रक्षा उद्योग संवर्धन) श्री अमित सतीजा ने कहा कि इस शिखर सम्मेलन ने **नवाचार और रणनीतिक सहयोग** के माध्यम से रक्षा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के प्रति दोनों देशों की प्रतिबद्धता को पुष्टि की।

इंडस-एक्स पहल का परिचय:

इंडस-एक्स पहल का संचालन भा**रत के रक्षा मंत्रालय के इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस (आईडेक्स) और संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्षा विभाग (डीओडी)** के तहत **डिफेंस इनोवेशन यूनिट (डीआईयू)** द्वारा किया जा रहा है। यह पहल **जून 2023 में प्रधानमंत्री की अमेरिका की राजकीय यात्रा के दौरान शुरू** की गई थी और बहुत कम समय में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं।

यूएस-इंडिया स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप फोरम (USISPF):

- ✓ **स्थापना:** यूएस-इंडिया स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप फोरम (USISPF) की **स्थापना 2017** में की गई थी।
- ✓ **मुख्य उद्देश्य:** इस गैर लाभकारी संगठन का मुख्य उद्देश्य **संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच द्विपक्षीय और रणनीतिक साझेदारी** को मजबूत करना है।

मुख्य लक्ष्य और पहल:

- **नीतिगत समर्थन:** USISPF का लक्ष्य नीतिगत दृष्टिकोण से दोनों देशों के बीच **आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों को सशक्त** करना है। इसका उद्देश्य **आर्थिक विकास, उद्यमशीलता, रोजगार-सृजन और नवाचार** को बढ़ावा देना है।
- **समावेशी समाज:** संगठन का उद्देश्य एक **अधिक समावेशी समाज का निर्माण** करना है, जो **व्यापारिक और आपसी सहयोग को बढ़ावा देने** के साथ-साथ सार्थक अवसर उत्पन्न करता है।
- **सकारात्मक बदलाव:** USISPF नागरिकों के **जीवन को सकारात्मक** रूप से बदलने के लिए सक्षम प्रयास करता है, जो **द्विपक्षीय सहयोग और साझेदारी को प्रोत्साहित** करता है।

व्यापक दृष्टिकोण:

- USISPF भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए **विभिन्न पहलों और कार्यक्रमों का आयोजन करता** है, जो दोनों देशों के **आर्थिक और सामाजिक विकास को समर्थन** प्रदान करते हैं।

रंगीन मछली" मोबाइल ऐप

केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह ने भुवनेश्वर स्थित **भाकृअनुप-केंद्रीय मीठाजल जीवपालन अनुसंधान संस्थान (भाकृअनुप-सीफा)** में **"रंगीन मछली"** नामक मोबाइल ऐप का उद्घाटन किया। इस ऐप को **प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PM-MSY)** के सहयोग से विकसित किया गया है और यह सजावटी मत्स्यपालन के क्षेत्र में बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

ऐप की मुख्य विशेषताएँ:

1. **बहुभाषी जानकारी:** **"रंगीन मछली"** ऐप **आठ भारतीय भाषाओं** में लोकप्रिय सजावटी **मछली प्रजातियों** पर जानकारी प्रदान करता है, जिससे यह अधिकतम लोगों के लिए सुलभ होता है।
2. **सजावटी मछली देखभाल:** शौकिया लोग और मछली पालक इस ऐप के माध्यम से मछलियों की **देखभाल, प्रजनन और रखरखाव** के तरीकों पर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
3. **एक्वेरियम शॉप्स ढूँढें:** ऐप में एक **"एक्वेरियम शॉप्स ढूँढें"** टूल है, जो उपयोगकर्ताओं को आस-पास की एक्वेरियम की दुकानों की खोज करने में मदद करता है। यह टूल स्थानीय व्यवसायों को बढ़ावा देने और विश्वसनीय स्रोतों से जोड़ने के लिए उपयोगी है।
4. **शैक्षिक मॉड्यूल:** ऐप में सजावटी मछली उद्योग के लिए शैक्षिक मॉड्यूल शामिल हैं, जैसे **"एक्वेरियम केयर की मूल बातें"** और **"सजावटी जलीय कृषि"**, जो एक्वेरियम के प्रकार, मछलियाँ, जल निस्पंदन, प्रकाश व्यवस्था और अन्य आवश्यक विषयों को कवर करते हैं।

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PM-MSY):

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PM-MSY) का कार्यान्वयन भारत सरकार के मत्स्य पालन विभाग द्वारा किया जा रहा है। यह योजना भारत में **मत्स्य पालन क्षेत्र के सतत और जिम्मेदार विकास** को प्रोत्साहित करने के लिए डिज़ाइन की गई है, जिसका लक्ष्य नीली क्रांति को बढ़ावा देना है। इस योजना पर **अनुमानित 20,050 करोड़ रुपये का निवेश** किया जाएगा।

योजना की अवधि और उद्देश्य:

- **अवधि:** PM-MSY को वित्त वर्ष **2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25 तक पांच वर्षों** के लिए लागू किया जाएगा।
- **उद्देश्य:** इस योजना का प्रमुख उद्देश्य **मछुआरों के कल्याण के साथ-साथ मत्स्य पालन क्षेत्र का समग्र विकास** करना है।

भारत-ओमान संयुक्त सैन्य अभ्यास 'अल नजाह'

भारत और ओमान के बीच **संयुक्त सैन्य अभ्यास 'अल नजाह'** का **पांचवां संस्करण 13 से 26 सितंबर 2024** तक **ओमान के सलालाह** में **रबकूट प्रशिक्षण क्षेत्र** में आयोजित होगा। यह अभ्यास 2015 से हर दो साल में बारी-बारी से दोनों देशों के बीच होता आ रहा है। पिछले संस्करण का आयोजन **राजस्थान के महाजन** में किया गया था।

सेना की टुकड़ी और प्रतिनिधित्व:

- ✓ इस बार, भारत की ओर से **60 सैनिकों की टुकड़ी** भेजी जा रही है, जिसका प्रतिनिधित्व **मैकेनाइज्ड इन्फैंट्री रेजिमेंट** की एक बटालियन करेगी, जिसमें अन्य अंगों और सेवाओं के कर्मी भी शामिल हैं।
- ✓ ओमान की शाही सेना से भी **60 सैनिक भाग** ले रहे हैं, जिनका नेतृत्व **फ्रंटियर फोर्स** के जवान करेंगे।

अभ्यास के उद्देश्य और गतिविधियाँ":

मुख्य उद्देश्य:

- ✓ अभ्यास का प्रमुख उद्देश्य **संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय VII** के तहत **आतंकवाद विरोधी अभियानों** के लिए दोनों सेनाओं की संयुक्त सैन्य क्षमता को सुधारना है।
- ✓ यह विशेष रूप से **रेगिस्तानी माहौल** में संचालन पर केंद्रित होगा।

सामरिक अभ्यास:

अभ्यास के दौरान निम्नलिखित गतिविधियाँ की जाएंगी:

- संयुक्त योजना और घेरा अभियान
- निर्मित क्षेत्र में लड़ाई
- मोबाइल वाहन चेक पोस्ट की स्थापना
- काउंटर ड्रोन संचालन
- कमरे में हस्तक्षेप (रूम इंटरवेंशन)

इसके साथ ही, वास्तविक आतंकवाद विरोधी अभियानों का अनुकरण करने वाले **संयुक्त क्षेत्र प्रशिक्षण अभ्यास** की भी योजना है।

सैन्य सहयोग और द्विपक्षीय संबंध:

- अभ्यास **'अल नजाह-V'** दोनों सेनाओं को संयुक्त अभियानों के लिए **रणनीति, तकनीक,** और **प्रक्रियाओं** से संबंधित सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान-प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा।
- यह अभ्यास दोनों सेनाओं के बीच **अंतरसंचालनीयता, सद्भावना,** और **सौहार्द** को बढ़ावा देगा। इसके अतिरिक्त, यह **रक्षा सहयोग** को मजबूत करेगा और भारत तथा ओमान के बीच **द्विपक्षीय संबंधों** को और प्रगाढ़ बनाएगा।

निवारक निरोध मामलों में बंदियों के अधिकार

13 सितंबर 2024 को, सुप्रीम कोर्ट ने **जसीला शाजी बनाम भारत संघ** मामले में निवारक निरोध के खिलाफ प्रभावी प्रतिनिधित्व करने के लिए **बंदियों के अधिकारों** पर महत्वपूर्ण निर्णय दिया। निवारक निरोध का अर्थ है किसी व्यक्ति को बिना परीक्षण के हिरासत में रखना।

फैसले की मुख्य बातें:

- ✓ **हिरासत की जानकारी:** हिरासत में लिए गए व्यक्ति को **हिरासत के आधार और आवश्यक दस्तावेजों** की जानकारी प्रदान करने का अधिकार है।
- ✓ **दस्तावेजों की विफलता:** यदि दस्तावेजों की प्रस्तुतिकरण में विफलता या देरी होती है, तो यह **संविधान के अनुच्छेद 22(5)** के तहत प्रभावी प्रतिनिधित्व के अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा।
- ✓ **अनुच्छेद 22(5):** इस **अनुच्छेद के तहत, हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी को बंदी को शीघ्र** सूचित करना होगा कि उसे किस आधार पर हिरासत में लिया गया है, और **हिरासत आदेश के खिलाफ अभ्यावेदन का अवसर प्रदान** करना होगा।

निवारक निरोध का कानूनी आधार:

- ✓ **अनुच्छेद 22(3):** यह अनुच्छेद प्राधिकारियों को निवारक कारणों, जैसे **सार्वजनिक व्यवस्था या राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखने** के लिए व्यक्तियों को हिरासत में लेने की अनुमति देता है।

संविधान द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा उपाय:

- **अधिकतम अवधि:** किसी भी निवारक निरोध कानून के तहत हिरासत की **अवधि तीन महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए**, जब तक कि सलाहकार बोर्ड इसकी मंजूरी न दे।
- **सूचना:** निवारक निरोध के आधार की **सूचना शीघ्रता** से दी जानी चाहिए।
- **अभ्यावेदन का अवसर:** बंदियों को **शीघ्रता से अभ्यावेदन** करने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए।

निवारक निरोध के लिए प्रचलित कानून:

- **राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980**
- **गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) संशोधन अधिनियम, 1967**
- **विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम (COFEPOSA), 1974**
- **कालाबाजारी निवारण एवं आवश्यक वस्तु आपूर्ति रखरखाव अधिनियम (पीबीएमएसईसीए), 1980**

नागरिक विमानन पर दिल्ली घोषणापत्र की स्वीकृति

दूसरे एशिया-प्रशांत मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (एपीएमसी) के दौरान, नागरिक विमानन पर दिल्ली घोषणापत्र को सर्वसम्मति से अपनाया गया। इस सम्मेलन का आयोजन **नागरिक विमानन मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन (ICAO)** द्वारा किया गया। सम्मेलन के साथ-साथ **ICAO की 80वीं वर्षगांठ** भी मनाई गई।

दिल्ली घोषणापत्र की प्रमुख प्रतिबद्धताएँ:

- ✓ **नागरिक विमानन पर एशिया और प्रशांत मंत्रिस्तरीय घोषणा (बीजिंग):** राज्य सुरक्षा कार्यक्रम और एशिया/प्रशांत **निर्बाध वायु नेविगेशन सेवा योजना** के कार्यान्वयन को आगे बढ़ाना।
- ✓ **विमानन सुरक्षा और संरक्षा:** वैश्विक विमानन सुरक्षा योजना के **आकांक्षात्मक लक्ष्यों को प्राप्त** करने की दिशा में कदम उठाना।
- ✓ **लैंगिक समानता:** विमानन क्षेत्र में **लैंगिक समानता को सशक्त बनाने** के लिए आवश्यक उपाय करना।
- ✓ **विमानन पर्यावरण संरक्षण:** विमानन के **उत्सर्जन और अन्य पर्यावरणीय प्रभावों** को कम करने की पहल।
- ✓ **अंतर्राष्ट्रीय वायु कानून संधियों का अनुसमर्थन:** अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन सम्मेलन में **संशोधनों का अनुसमर्थन करने के लिए एशिया और प्रशांत राज्यों को प्रोत्साहित** करना।

भारत में नागरिक विमानन क्षेत्र:

भारत विश्व में सबसे तेजी से बढ़ता विमानन बाजार है और वर्तमान में घरेलू विमानन क्षेत्र में तीसरे स्थान पर है। भारत के पास **800 से अधिक विमान** हैं और **हवाई अड्डों की संख्या तेजी से बढ़कर 157 हो गई है।**

- **लैंगिक समानता:** भारत में **15% पायलट महिलाएं हैं, जबकि वैश्विक औसत 5% है।**
- **विमानन योजनाएँ: क्षेत्रीय संपर्क योजना (आरसीएस) - उड़े देश का आम नागरिक (उड़ान), डिजी यात्रा और ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा नीति, 2008** (कार्बन तटस्थता को प्राथमिकता देने के लिए)।

अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन (ICAO):

- **उत्पत्ति: 1944** में **शिकागो कन्वेंशन** के आधार पर स्थापित, यह एक संयुक्त राष्ट्र विशेष एजेंसी है।
- **सदस्य: 193 (भारत सदस्य है)**
- **मुख्यालय: मॉन्ट्रियल, कनाडा**
- **वैश्विक नागरिक विमानन प्रणाली का सतत विकास** प्राप्त करना।

वीएल-एसआरएसएएम मिसाइल का सफल परीक्षण

12 सितंबर 2024 को, **रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) और भारतीय नौसेना** ने ओडिशा तट से दूर **चांदीपुर** में स्थित **एकीकृत परीक्षण रेंज (आईटीआर) से वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज** सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल (वीएल-एसआरएसएएम) का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया। यह परीक्षण लगभग 3 बजे **भूमि-आधारित ऊर्ध्वाधर लांचर** से किया गया, जिसमें कम ऊंचाई पर उड़ रहे एक उच्च गति वाले हवाई लक्ष्य को लक्ष्य बनाया गया। मिसाइल प्रणाली ने सफलतापूर्वक लक्ष्य का पता लगाया और उसे नष्ट किया।

परीक्षण का उद्देश्य:

- ✓ **प्रॉक्सिमिटी फ्यूज और सीकर की मान्यता:** परीक्षण का मुख्य उद्देश्य इन **हथियार प्रणाली के अद्यतन तत्वों** की मान्यता करना था।
- ✓ **सिस्टम प्रदर्शन की पुष्टि: रडार इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम और टेलीमेट्री उपकरणों** द्वारा प्रणाली के प्रदर्शन की निगरानी और पुष्टि की गई।
- ✓ इस परीक्षण से भारतीय **नौसेना की परिचालन क्षमता और सटीकता** में सुधार होगा।
- ✓ **तकनीकी उन्नति:** प्रॉक्सिमिटी फ्यूज और सीकर में सुधार, विमानन रक्षा प्रणाली की नई क्षमताओं को दर्शाता है।
- ✓ **वस्तुनिष्ठ निगरानी:** परीक्षण के दौरान प्रणाली की निगरानी के लिए **उन्नत रडार और टेलीमेट्री तकनीकों** का उपयोग किया गया, जो भविष्य के परीक्षणों के लिए एक मानक स्थापित करता है।

लक्ष्य के आधार पर मिसाइल के प्रकार:

- **सतह से सतह मिसाइल:** ये मिसाइलें **जमीन पर स्थित लक्ष्यों** को निशाना बनाती हैं।
- **सतह से हवा मिसाइल:** ये मिसाइलें **हवा में उड़ रहे लक्ष्यों** जैसे विमानों या मिसाइलों को निशाना बनाती हैं।
- **हवा से सतह मिसाइल:** ये मिसाइलें हवाई **जहाज से दागी जाती हैं और जमीन पर स्थित लक्ष्यों** को निशाना बनाती हैं।
- **हवा से हवा मिसाइल:** ये मिसाइलें हवाई जहाज से दागी जाती हैं और **अन्य हवाई जहाजों** को निशाना बनाती हैं।
- **एंटी-सैटेलाइट मिसाइल:** ये मिसाइलें **उपग्रहों को नष्ट करने** के लिए डिज़ाइन की गई हैं।

DRDO के बारे में –

- **स्थापना:** DRDO की **स्थापना 1958** में की गई थी।
- **मुख्यालय:** इसका मुख्यालय **दिल्ली, भारत** में स्थित है।
- **वर्तमान अध्यक्ष:** डॉ. समीर वी. कामत

महत्वपूर्ण ऊर्जा संक्रमण खनिजों (CETM)

संयुक्त राष्ट्र महासचिव के **महत्वपूर्ण ऊर्जा संक्रमण खनिजों (CETM)** पर पैनल ने ऊर्जा संक्रमण के लिए **मार्गदर्शक सिद्धांत विकसित करने** के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण **रिपोर्ट** जारी की है। CETM वे खनिज हैं जो **नवीकरणीय ऊर्जा के निर्माण, उत्पादन, वितरण और भंडारण** के लिए आवश्यक हैं। इनमें **दुर्लभ मृदा तत्व, तांबा, कोबाल्ट, निकल, लिथियम, ग्रेफाइट, कैडमियम, और सेलेनियम** शामिल हैं।

सीईटीएम की बढ़ती मांग:

- ✓ **वृद्धि की उम्मीद:** वर्ष 2030 तक **CETM की मांग तीन गुना** हो जाने की संभावना है, क्योंकि **विश्व जीवाश्म ईंधन** से नवीकरणीय ऊर्जा की ओर संक्रमण कर रहा है।

रिपोर्ट की सामग्री:

- **मार्गदर्शक सिद्धांत:** रिपोर्ट में **सात प्रमुख मार्गदर्शक सिद्धांतों और पांच कार्यान्वयन योग्य सिफारिशों** की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है, जो न्याय और समानता के आधार पर नवीकरणीय क्रांति को समर्थन प्रदान करती हैं।
- **सिद्धांतों की आवश्यकता:** CETM की बढ़ती मांग से वस्तुओं पर निर्भरता बढ़ने, भू-राजनीतिक तनाव और पर्यावरणीय तथा सामाजिक चुनौतियों के **जोखिम को कम करने** के लिए ये सिद्धांत महत्वपूर्ण हैं।

कार्यान्वयन योग्य सिफारिशें:

1. **विशेषज्ञ सलाहकार समूह:** CETM मूल्य श्रृंखलाओं में **लाभ-साझाकरण, मूल्य संवर्धन और आर्थिक विविधीकरण** को बढ़ावा देने के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ सलाहकार समूह की स्थापना।
2. **पारदर्शिता और जवाबदेही ढांचा:** सम्पूर्ण खनिज मूल्य **श्रृंखला के साथ वैश्विक पता लगाने योग्यता, पारदर्शिता और जवाबदेही** ढांचा स्थापित करना।
3. **ग्लोबल माइनिंग लिगेसी फंड:** खदान बंद करने और पुनर्वास के लिए **वित्तीय आश्वासन तंत्र को मजबूत** करने हेतु ग्लोबल माइनिंग लिगेसी फंड की स्थापना।
4. **सशक्तिकरण पहल: कारीगरों और छोटे पैमाने** के खनिकों को जिम्मेदार खनन के लिए सशक्त बनाना।
5. **सामग्री दक्षता और परिपत्रता लक्ष्य:** उपभोग को **संतुलित करने और पर्यावरणीय प्रभावों** को कम करने के लिए **सामग्री दक्षता और परिपत्रता** लक्ष्य निर्धारित करना।

SSC TEST SERIES

CGL, CHSL, MTS, CET, CPO, GD,

Stenographer (Grades C & D)

Only at

99/-Year

Enroll Now !

APNI PATHSHALA

UPPSC,RO/ARO,BPSC,UP TEST SERIES

UPPSC
(TEST SERIES)
- 35+ MOCK TESTS
- 40+ PYQ'S
- 180+ TOPIC WISE TEST
- 60+ CURRENT AFFAIRS

299/- YEAR

RO/ARO
(TEST SERIES)
- 50+ MOCK TESTS
- 30+ PYQ'S
- 10+ TOPIC WISE TEST
- 65+ CURRENT AFFAIRS

ONLY 299/- YEAR

BPSC
(TEST SERIES)
- 50+ MOCK TESTS
- 30+ PYQ'S
- 10+ TOPIC WISE TEST
- 65+ CURRENT AFFAIRS

ONLY 299 YEAR

SSC (TEST SERIES)
- 30 MOCK TESTS
- 28+ YEAR PYP
- 12 SECTIONAL TEST
- 60+ CURRENT AFFAIRS

ONLY 99/- YEAR

RPF (TEST SERIES)
- 40 MOCK TESTS
- 2 YEAR PYQ'S
- 4 SECTIONAL TEST
- 10 PRACTICE TEST
- 60 CURRENT AFFAIRS

ONLY 99/- YEAR

Download | Application

Apni Pathshala

7878158882

Apni.Pathshala Avasthiankit

AnkitAvasthiSir kaankit

ANKIT AVASTHI SIR

2024

GA FOUNDATION

RECORDED BATCH

Subject

- HISTORY ,POLITY
- GEOGRAPHY
- ECONOMICS

Price

1499/-

Validity
1 Year

By Ankit Avasthi Sir

GA FOUNDATION

Hand Written Notes

Apni Pathshala
एक कदम उज्ज्वल भविष्य की ओर

Ankit Inspires India

₹ Only 1999

4 पुस्तकों का सम्पूर्ण सेट

अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें....

7878158882